झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट)-सत्र

वर्ग- 05

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक-28फाल्गुन,1942(श0) .....को
19 मार्च, 2021 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सं0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
248.	अ0सू0-04	श्री विरंची नारायण	विस्थापितों का नियोजन।	श्रम नि0प्र0 एवं कौ0	17.02.21
249.	अ0सू0-11	श्री किशुन कुमार दास	दोषियों पर कार्रवाई।	राज0नि0एवं भू0सु0	27.02.21
250.	अ0सू0-16	श्री प्रदीप यादव	सरकारी नर्सिंग स्कूल खोलना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	27.02.21
251.	अ0सू0-24	श्री अमर कुमार बाउरी	प्रोत्साहन राशि का भुगतान।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	07.03.21
252.	अ0सू0-19	श्री बंधु तिर्की	गाईडलाईन सार्वजनिक करना।	विधि	27.02.21
253.	अ0सू0-05	श्री विरंची नारायण	दोषी पर कार्रवाई।	राज0नि0एवं भू0सु0	17.02.21
254.	अ0सू0-22	श्री सरयू राय	स्वास्थ्य बीमा का लाभ।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	07.03.21
255.	अ0सू0-27	श्री नवीन जयसवाल	दैनिक कर्मियों को स्थायी करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	10.03.21
256.	अ0सू0-25	श्री सुदेश कुमार महतो	लाभुक की सूची में नाम दर्ज करना।	श्रम नि0प्र0 एवं कौ0	07.03.21
257.	अ0सू0-23	श्री सुदेश कुमार महतो	डायलिसिस केन्द्र की स्थापना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	07.03.21

* 256. उत्तर - महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग से प्राप्त।

1-	2.	3.	4.	5.	6.
258.	अ0सू0-26	श्रीमती ममता देवी	राज्य विस्थापन आयोग का गठन।	रा0नि0एवं भू0सु0	08.03.21
259.	अ0सू0-28	श्री राजेश कच्छप	शिक्षण शुल्क में रियायत देना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	13.03.21
260.	अ0सू0-20	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	आयुष्मान कार्ड बनाना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	08.03.21
261.	अ0सू0-13	श्री अनन्त कुमार ओझा	बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0क0	27.02.21
262.	अ0सू0-21	श्री सरयू राय	दाता भगतों को प्रतिनिधित्व करना।	रा0नि0एवं भू0सु0	07.03.21
263.	अ0सू0-18	डॉ0 इरफान अंसारी	रोजगार का सृजन।	श्रम नि0प्र0 एवं कौ0	27.02.21

राँची
दिनांक- 19 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- झा0वि0स0 प्रश्न- 06/2020......1313......./वि0स0, राँची, दिनांक-15/03/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मा0मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता, प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/21

(कुन्दन कुमार सिंह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- झा0वि0स0 प्रश्न- 06/2020......1313......./वि0स0, राँची, दिनांक-15/03/2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/21

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- झा0वि0स0 प्रश्न- 06/2020......1313......./वि0स0, राँची, दिनांक-15/03/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/21

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

15/3/2021

248

386
17/03/2021

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–19.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–04 की उत्तर सामग्री:–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो इस्पात संयंत्र में बड़े पैमाने में दैनिक ठेका मजदूरों से काम लिया जाता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उप श्रमायुक्त, बोकारो द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को जाँच के क्रम में पाया गया कि बोकारो इस्पात संयंत्र में कुल नियमित कामगारों की संख्या 11332 है। कार्यरत कुल 420 संवेदक द्वारा नियोजित कुल ठेका श्रमिकों की संख्या–8913 है।
2.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो इस्पात प्रबंधन द्वारा करीब 1500 विस्थापितों का चयन अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग के लिए किया गया और उनको ट्रेनिंग दी गई लेकिन अब तक उनका नियोजन नहीं हो सका है;	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण (मुख्यालय), राँची के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा 1500 विस्थापित परिवार के सदस्य को अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग (Appernticeship Training) चरण बद्ध रूप से दिया जाना है। अबतक 498 प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि पूरी हो गई है तथा 387 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेष 615 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2021–2022 में किया जाना है। प्रशिक्षण उनके कौशल विकास हेतु दिया जाना है। बोकारो इस्पात संयंत्र उनके नियुक्ति के लिए जिम्मेवार नही है। हालांकि सेल/बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया के तहत निर्गत विज्ञापन के आलोक में विहित अहर्त्ता रखने वाले आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है।
3.	क्या यह बात सही है, कि है; कि बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकारी बराबर श्रम शक्ति की कमी (Scarcity of man power) की बात करते हैं लेकिन वे न तो दैनिक ठेका मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर से नियमित रूप से भुगतान करते हैं और न ही 1500 विस्थापितों (अप्रेंटिसशीप प्राप्त विस्थापितों) का नियोजन ही कर रहें हैं एवं इस संबंध में कई शिकायते अक्सर सामने आती है;	इस संबंध में कोई भी शिकायत राज्य सरकार के स्थानीय श्रम कार्यालय को प्राप्त नहीं है। मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में दैनिक ठेका मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम मजदूरी दिये जाने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। 1500 विस्थापितों (अप्रेंटिसशीप प्राप्त विस्थापितों) के नियोजन के संबंध में कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

E:\Sari\Prem Bhagat\Vidhan Sabha\03-01-2021 L..docx

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में बोकारो इस्पात संयंत्र में नियोजित दैनिक ठेका मजदूरों को सरकार द्वारा तय मजदूरी दर से लम्बित राशि का भुगतान करवाते हुए उक्त 1500 अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग प्राप्त विस्थापितों के नियोजन का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा कंडिका–1, 2 और 3

17/03/2021

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक–1 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–01 / 2021श्र0नि0–386 राँची, दिनांक– 17/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं0–44 दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/03/2021

सरकार के अवर सचिव

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन का दाखिल–खारिज, पंजी–II इत्यादि में अंचल कार्यालयों में बाह्य स्त्रोतों द्वारा नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा जमीन संबंधी विवरण की प्रविष्टियाँ की जाती है, जिसमें रैयतों का नाम एवं अन्य सूचनाएँ की प्रविष्टियाँ सही नहीं रहने के कारण खमियाजा रैयतों को भुगतना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। जमीन का दाखिल–खारिज, पंजी–II में ऑनलाईन प्रविष्टि आदि का कार्य राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा संपादित होता है।
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन प्रक्रिया लागू होने के पूर्व लगान रसीद हल्का कर्मचारियों द्वारा काटी जा रही थी परन्तु ऑनलाईन प्रक्रिया लागू होने के उपरांत रैयतों का खतियान Upload नहीं होने के कारण लगान रसीद नहीं कट पा रहा है, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। खतियान अपलोड नहीं होने की स्थिति में दिनांक–11.06.2019 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–15 में 'अन्यान्य' के रूप में लिए गये निर्णय – **"अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कराकर पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात् अभ्युक्ति दर्ज कर पंजी–II के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देगें ताकि रैयत द्वारा ऑनलाईन भुगतान किया जा सके"** उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–2140/रा०, दिनांक–14.06.2019 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश प्रदत है।
3	क्या बात सही है कि अंचल कर्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टियों में गलतियों का सुधार वर्तमान में अंचल कार्यालय एवं जिला कार्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी भू–अभिलेखों को डिजिटाईज्ड कर ऑनलाईन किया गया है। ऑनलाईन भू–अभिलेख में कुछ त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुई हैं, जिसका निराकरण रैयतों से प्राप्त आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आलोक में अंचल कार्यालय में उपलब्ध कागजात से जांचोपरान्त अंचल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर में विकल्प मौजूद है एवं त्रुटिसुधार हेतू वर्ष के सभी 365 दिन पोर्टल खुला रखा गया है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ऑनलाईन प्रविष्टियों का समाधान करने एवं दोषियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1, 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 1/निदे0 अनि0, वि0स0 (अ०सू०)–18/2021 183/रा० रॉंची, दिनांक–16-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–628/वि0स0, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉंची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2021

सरकार के अवर सचिव।

250

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-16 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के गोड्डा, गढ़वा, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी एवं रामगढ़ जिले में सरकारी नर्सिंग स्कूल संचालित नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार ने उक्त जिलों में नर्सिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है ;	स्वीकारात्मक। राज्य के कोडरमा, बोकारो, लोहरदगा जिले में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल हेतु भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
3. क्या यह बात सही है, कि उपर्युक्त जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल न होने के कारण छात्राओं को बाहर के प्राईवेट नर्सिंग स्कूलों में काफी रुपये खर्च करने पड़ते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के दस जिलों के सदर अस्पताल में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल संचालित है। इसके अतिरिक्त फेजा संस्था के साथ पी0पी0पी0 मोड पर 18 अन्य संस्थान संचालित है। अन्य सदर अस्पताल में नर्सिंग स्कूल खोलने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-10/क्यू0-01-04/2021 - 51 (10) स्वा0/राँची,दिनांक:- 17/3/21

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0- 626/वि0स0 दिनांक-27.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.03.2021
सरकार के अवर सचिव।

NAND KUMAR/Health

251

श्री अमर कुमार बाउरी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-24 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि वैश्विक महामारी (Covid-19) के दौरान झारखण्ड राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मी (नियमित/संविदा) ने अपनी जान की बाजी लगातार मानव सेवा का कार्य बड़े ही अच्छे ढंग से निभाया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि देश के कई राज्यों यथा बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों (नियमित/संविदा) के मनोबल को ऊंचा रखने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में एक माह के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दे कर सम्मानित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों (नियमित/संविदा) के मनोबल को ऊंचा रखने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में एक माह के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-21/विधानसभा-06-05/2021- 16 (21) स्वा0/राँची/दिनांक- 16-3-2021
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-1049/वि0स0 दिनांक-07.03.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2021
सरकार के अवर सचिव।

श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य, झारखंड विधान-सभा द्वारा दिनांक-19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-विधि-19 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड हाईकोर्ट में 4-5 लोग ही APP (Assistant Public Prosecutor) के पद पदस्थापित है,	:-	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कोर्ट में लगभग 150 गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें से 80 निकायों का जिम्मा सिर्फ दो वकील को ही है-(1) अशोक कुमार सिंह (भूतपूर्व मुख्य सचिव) (2) रिचा संचिता (W/O) सुनिल कुमार वर्णवाल (IAS);	:-	विधि विभाग द्वारा सभी विभागों/महाधिवक्ता से संबंधित मामले में वस्तुस्थिति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया और कतिपय विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त बोर्ड/निगम एवं प्राधिकार से संबंधित मामलों के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ताओं की विवरणी निम्नरूपेण है:- **विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वैसे संस्थान निगम/बोर्ड/ कार्यालय या विभाग जहां ऋचा संचिता एवं अशोक कुमार सिंह की सेवा ली जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नरूपेण है:-** खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में डॉ० अशोक कुमार सिंह की सेवा ली जा रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड में दो विद्वान अधिवक्ता सेवारत है। मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग में भारत निर्वाचन आयोग के Counsel के रूप में डॉ० अशोक कुमार सिंह है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत J.S.R.R.D.A में डॉ० अशोक कुमार सिंह सेवारत है। झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद में केवल डॉ० अशोक कुमार सिंह सेवारत है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत TVNL में डॉ० अशोक कुमार सिंह सेवारत है। उद्योग विभाग के अंतर्गत जियाडा में डॉ० अशोक कुमार सिंह सेवारत है। रिनपास में डॉ० अशोक कुमार सिंह सेवारत है।

(कृ०पृ०उ०)

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
		विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वैसे संस्थान निगम/बोर्ड/ कार्यालय या विभाग जहां सेवारत नहीं है:– गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग एवं आपदा प्रभाग) में सेवारत नहीं है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 28 नगर निगम/पर्षद में सेवारत नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) में सेवारत नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) में सेवारत नहीं है। सूचना एवं जन संपर्क विभाग में सेवारत नहीं है। पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पशुपालन निदेशालय में सेवारत नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, JSLP एवं JSWM में भी सेवारत नहीं है। वाणिज्य कर विभाग एवं इसके अंतर्गत सभी प्रमंडल में अवस्थित वाणिज्य कर न्यायाधीकरण में सेवारत नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में सेवारत नहीं है। योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) में सेवारत नहीं है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं इसके अंतर्गत संस्था यथा JAP-IT, JSAC, JLNL एवं ABVIL में सेवारत नहीं है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन) में सेवारत नहीं है। भवन निर्माण विभाग एवं इसके अंतर्गत भवन निर्माण निगम लिमिटेड में सेवारत नहीं है। परिवहन विभाग में सेवारत नहीं है।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
			पथ निर्माण विभाग में सेवारत नहीं है। परिवहन विभाग में सेवारत नहीं है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सेवारत नहीं है। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग में सेवारत नहीं है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में सेवारत नहीं है। ऊर्जा विभाग एवं इसके अंतर्गत JUVNL एवं Jharkhand Renewable Energy Development Agency में सेवारत नहीं है। उद्योग विभाग के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बोकारो प्रक्षेत्र, बोकारो, जियाडा संथाल परगना क्षेत्र, देवघर एवं झारक्राफ्ट में सेवारत नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी वकील बनाने में कौन सा नियम और गाइडलाईन फॉलो करती है तथा कोर्ट मे कितने अनुसूचित जन जाति वकील सरकार के पैनल में आते है, यह सार्वजनिक करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	:–	The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2018 की कंडिका–4, 5 एवं 6 के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा संबंधित वादों में माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में पक्ष रखे जाने हेतु या तो राज्य सरकार के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में नियुक्त विधि पदाधिकारियों की सेवा लेने के लिए स्वतंत्र रूप से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए विद्वान महाधिवक्ता एवं प्रधान सचिव, विधि विभाग के परामर्श से स्वतंत्र अधिवक्ता रखे जाने का प्रावधान है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में पैरवी करने हेतु गठित अधिवक्ताओं के पैनल में यथा–श्री जयन्त फ्रैंकलिन टोप्पो, स्थायी सलाहकार संख्या–VII एवं श्रीमती लक्ष्मी मुर्मू, स्थायी सलाहकार संख्या–V, अनुसूचित जन जाति के 02 (दो) अधिवक्ता के रूप में नियुक्त है।

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–08/2021– 467/जे0 राँची, दिनांक– 17 मार्च, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–629/वि0स0, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

17.3.21

(संजय प्रसाद)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

(253)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–19.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 का प्रश्नोत्तर –

क्र	प्रश्न		उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि संपूर्ण झारखण्ड में अवैध जमाबंदी के कई मामले लंबित है और राजधानी राँची में ही 22 अंचलों के अन्तर्गत 35,131.63 एकड़ जमीन की अवैध मांबदी की गई है और इन अंचलों में इससे संबंधित 17,488 आवेदन अवैध जमाबंदी के लंबित पड़े हुए है जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;		स्वीकारात्मक। संपूर्ण झारखण्ड राज्य में लगभग 211620 अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी के मामले चिन्हित किये गये है, जिसमें लगभग 152513 मामले लंबित/प्रक्रियाधीन है तथा लगभग 9330 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। राँची जिलान्तर्गत कुल चिन्हित अवैध जमाबंदी की संख्या–9708 है, जिसमें से नियमितिकरण हेतु 1194 मामले चिन्हित किये गये है तथा 557 मामलों में नियमितिकरण कर दिया गया है। लंबित मामलों की संख्या–924 है एवं निष्पादित मामलों की संख्या–738 है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 1 वर्ष में जिला अवर निबंधक कार्यालयों और अंचल कार्यालयों की मिली–भगत से गैर–मजरूआ जमीन, खासमहल जमीन, वन विभाग की जमीन, पाहनाई जमीन, भुईहरी जमीन, आदिवासी जमीन, कैसरे हिन्द जमीन एवं गैर आबाद जमीन इत्यादि की अवैध ढंग से खरीद–फरोक्त कर इनके अवैध जमाबंदी के मामले प्रकाशित हुए है, जिसके आलोक में सरकार ने मात्र 3–4 पदाधिकारियों पर ही कार्रवाई हुई है, लेकिन कई बड़े भू–माफिया अब तक बचे हुए है और आये दिन भूमि से जुड़े विवाद के कारण राजधानी राँची सहित विभिन्न जिलों में हत्याएं हो रही है ;		ऐसे मामले संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त जमीनों के अवैध जमाबंदी को रद्द करवाते हुए संलिप्त दोषी पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों पर समुचित कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		सरकार द्वारा ऐसे मामले की लगातार समीक्षा एवं अनुश्रवण की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि0स0 राँची (अ0सू0)–12/2021 1331 (4)/रा., राँची, दिनांक– 18-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.प्र.–42/वि.स. दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/21
सरकार के संयुक्त सचिव

754

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प-753 (6) दिनांक-25.10.2014 के अनुसार झारखण्ड सरकार अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा दिये जाने हेतु कृत संकल्पित है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि छ वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस संकल्प के प्रावधान अभी तक प्रभावी नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प-753 (6) दिनांक-25.10.2014 द्वारा राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाना प्रावधानित है। योजना के क्रियान्वयन के बिन्दु पर उच्च स्तरीय आहुत अंतिम बैठक दिनांक-24.07.2019 में लिये गए निर्णयानुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राज्य के विभिन्न सेवा/संवर्गों से सहमति प्राप्त कर प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। तत्संबंधी प्रतिवेदन अद्यतन उपलब्ध है। प्रतिवेदनानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3. क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा नहीं रहने के कारण सरकारी कर्मियों को चिकित्सा हेतु समय राशि नहीं मिल पाती है ;	अस्वीकारात्मक। संकल्प के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जा रही है।
4. क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार को चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में 100 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिवर्ष व्यय करने पड़ते है ;	स्वीकारात्मक।
5. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपने संकल्प के आलोक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक-13/वि0स0-07-07/2021 48 (13) स्वा0/राँची/दिनांक- 18/3/2021

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-1051/वि0स0 दिनांक-07.03.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/21

सरकार के अवर सचिव।

255

श्री नवीन जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-27 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2002 से रिम्स, राँची में लगभग 86 चतुर्थ वर्गीय दैनिक वेतन भोगी एवं अनुबंध कर्मियों अपनी सेवा देते आ रहे है, बावजूद इसके अभी तक उक्त कर्मियों की सेवा नियमित नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। रिम्स में कुल 71 चतुर्थवर्गीय कर्मी कार्यरत है, जिसमें 59 दैनिक वेतन भोगी एवं 12 अनुबंध कर्मी है। उक्त सभी वर्ष 2002 के बाद से अलग-अलग वर्षों में नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत है।
2. क्या यह बात सही है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में रिम्स संस्थान में कार्यरत अनुबंध एवं दैनिक कर्मियों की सेवा समायोजित/स्थायी करने का आदेश प्राप्त है। कार्मिक, प्रशासनिक विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक संख्या-4871, दिनांक-20.06.2019 के आलोक में राज्य के सृजित पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं कम से कम 10 वर्षों की लगातार सेवा करने वाले कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर विचार करने का आदेश है। बावजूद इसके उक्त कर्मियों की सेवा समायोजित/ स्थायी नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचना 4871 दिनांक- 20.06.2019 निर्गत किया गया है, जो झारखण्ड सरकार के अधिनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण से संबंधित है। रिम्स, राँची द्वारा संस्थान में कार्यरत अनुबंध/दैनिक कर्मियों की सेवा समायोजित/स्थायी करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स संस्थान में कार्यरत अनुबंध एवं दैनिक कर्मियों की सेवा समायोजित एवं स्थायी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कॉडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। रिम्स, राँची एक स्वायत्तशासी संस्थान है। रिम्स विनियम, 2014 के अनुसूची-II के अनुसार संस्थान में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के नियुक्ति के लिए निदेशक, रिम्स सक्षम प्राधिकार है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/वि0स0-05-03/2021-1190(11) स्वा0/राँची/दिनांक- 18/03/21

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-1174/वि0स0 दिनांक-10.03.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

256

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–25 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अधिकतर जिलों में पिछले छः महीनों से वृद्धा, विधवा और विकलांग (दिव्यांग) पेंशन लाभुकों को नहीं मिला है	अस्वीकारात्मक। वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग लाभुकों को माह जनवरी, 2021 तक पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। माह फरवरी, 2021 का पेंशन भुगतान प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि पेंशन नहीं मिलने से गरीब, बेबस और लाचार लोग मुश्किलों से गुजर रहे है	यथा कंडिका–1 में वर्णित है।
3.	क्या यह बात सही है कि कम से कम पाँच लाख वृद्धा, विधवा और विकलांग, जो पेंशन के हकदार हैं, लेकिन अलग–अलग कारणों से उनका नाम लाभुक की सूची में अब तक नहीं अंकित किया गया है तथा वे सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाकर परेशान है	राज्य संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पूर्व में कुल–3,65,000 लाभुकों को आच्छादित करने का लक्ष्य था। माह जनवरी, 2021 से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 7,30,000 कर दिया गया है एवं तदनुसार सभी जिलों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। जिलों द्वारा नए लक्ष्य के आलोक में नए आवेदनों की नियमानुसार स्वीकृति भी दी जा रही है। विधवा एवं दिव्यांग योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्य के अनुरूप जिलों द्वारा लाभुकों के पेंशन की स्वीकृति दी जा रही है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जरूरतमंदों को समय पर पेंशन का भुगतान करने एवं जिन लोगों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, उनके लिए शिविर लगाकर सूची में नाम दर्ज करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1640 दिनांक–16.07.2018 द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि विभिन्न पेंशन योजनाओं के अधीन जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाय तथा पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन कर समस्त अर्हताधारी लाभुकों को पेंशन योजना के अधीन आच्छादित करने की कार्रवाई की जाय।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, पुर्वी, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा – 88/2021–578 राँची, दिनांक : 17-03-2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1052/वि0स0, दिनांक–07.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 23 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020–21 का बजट पेश करते हुए सरकार ने सभी जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य के 10 जिलों में अभी डायलिसिस केन्द्र चल रहे हैं, शेष 14 जिलों में डायलिसिस केन्द्र की स्थापना को लेकर कुछ भी नहीं किया जा सका है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 16 जिलों यथा–धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पलामू, सिमडेगा, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, राँची, चतरा एवं सरायकेला–खरसावां में पी0पी0पी0 मोड पर डायलिसिस केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। 02 जिलों यथा – गढ़वा एवं गिरिडीह जिलों में तीन माह में सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। शेष 06 जिलों में स्थल चयन होने के उपरांत डायलिसिस सेंटर की स्थापना करते हुए सेवा प्रारंभ कर दिया जाएगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी जिलों में डायलिसिस केन्द्र की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (अ0सू0)– 21/21– 266(6) स्वा0, राँची, दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप स0 प्र0– 1030/वि0स0, दिनांक–07.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2021
अवर सचिव।

श्रीमती ममता देवी, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–19.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–26 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती ममता देवी, माननीया स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पिछले एक शताब्दी से ज्यादा समय से लोग 1894 के ब्रिटिश साम्राज्यवादी भू–अर्जन अधिनियम का दुरूपयोग का शिकार हुए हैं ;		अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित अधिनियम का शिकार होकर लाखों अनुसूचित जनजाति मूलवासी, विस्थापित, प्रभावित अपनी पहचान, संस्कृति और अस्तित्व रक्षार्थ हेतु संघर्षरत है;		भू–अर्जन से विस्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–41 में विशेष उपबंध किये गये हैं। जिससे वे अपनी जातीय, भाषीय और सांस्कृतिक पहचान को बनाये रख सकेंगे।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 एवं 02 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्देनजर विस्थापन एवं पलायन पुनर्वास, पुनःस्थापन का स्थायी समाधान हेतु संवैधानिक क्षमता संपन्न विस्थापन आयोग का गठन यहाँ की वर्षों पुरानी मांग रही है, परन्तु आज तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है;		वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–01.01.14 से भारत सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। लोक प्रयोजन हेतु भू–अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं इसके उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के आलोक में की जा रही है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–43 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं.–40/नि., दिनांक–13.02.2015 द्वारा संबंधित जिला के अपर समाहर्ता को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक अधिसूचित किया गया है, ताकि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सुविधा संबंधित जिलों में आसानी से मिल सके। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा– 44 के आलोक में

कृपया

			विभागीय अधिसूचना सं.–39/नि., दिनांक–13.02.2015 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त अधिसूचित किया गया है, ताकि प्रमण्डलीय स्तर पर ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मामलों का निष्पादन किया जा सके। सभी जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति गठित किया गया है। उस समिति में जन प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे, ताकि उनके समस्या के समाधान जिला स्तर पर ही किया जा सके। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधिनियम के उपबंधों के अक्षरशः अनुपालन के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। जिसके कारण विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं खण्ड–02 में वर्णित विषयों को संज्ञान लेकर खण्ड–03 में वर्णित विषय के आलोक में राज्य विस्थापन आयोग का गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पुनर्वास आयोग/विस्थापन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जो विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी./भू.अ.नि.वि.स.(अ.सू.)–58/2021 145 (8)/नि.रा., राँची, दिनांक–15-03-2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–1072/वि.स., दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के अवर सचिव।

259

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–19.03.21 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	यह बात सही है, कि NEET (U.G) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद द्वारा आवेदन/निबंधन एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित शुल्क का जनरल एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के अपेक्षा छात्राओं (सभी वर्ग) से 50 % शुल्क लेने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2.	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं जिन्होंने झारखण्ड कोटे से राज्य के निजी मेडिकल कॉलेज में नामांकन लिया है, उन्हें शिक्षण शुल्क (TUTION FEE) में भी आवेदन/निबंधन एवं साक्षात्कार की तरह 50 : रियायत देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, बारीडीह, जमशेदपुर में 150 एम0बी0बी0एस0 सीटों में से 25 सीटें झारखण्ड राज्य के लिए कर्णाकित है, जिसमें राज्य कोटा से नामांकित अभ्यर्थियों में से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को विश्व विद्यालय द्वारा लागू Merit Cum Means Scholaship Scheme के तहत छात्रवृति एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत की छात्रवृति प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-11/2021-97(9) राँची, दिनांक–17/03/21

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1297 दिनांक– 13-03-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.2021
सरकार के अवर सचिव

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–20 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

(260)

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों का आयुष्मान कार्ड प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा बनाया जा रहा है?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा बनाया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि कोविड–19 के तहत राज्य में जागरूकता नहीं रहने के कारण B.P.L श्रेणी के अधिकतम लाभुकों को आयुष्मान कार्ड नहीं रहने के कारण उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है?	अस्वीकारात्मक। आयुष्मान भारत योजना पात्रता पर आधारित है। अस्पतालीकरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड ले जाकर देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में तत्समय अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर ईलाज का लाभ योजनान्तर्गत ले सकते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि कोविड–19 की महामारी के बीच 01 मार्च 2020 से 10 मार्च 2021 तक 3,13,565 लाभुकों को अस्पतालीकरण कर योजना का लाभ पहुँचाया गया है जिसकी कुल राशि 2,97,36,00,457/– है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूरे राज्य में सर्वेक्षण के आधार पर कैम्प लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार सभी अर्हता प्राप्त लाभुकों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये प्रतिबद्ध है एवं अभियान चलाकर कार्ड बनाने हेतु कृत संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–13/वि०स०– 07–06/2021– 43 (13) स्वा०, राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1065/वि०स०, दिनांक–08.03.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

अवर सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.03.2021 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0 13 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि राँची स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) में ओ0पी0डी0 पेसेंट जो बी0पी0एल0/आयुष्मान भारत योजना/ लाल कार्ड धारियों को चिकित्सा से संबंधित लाभ लेने जैसे- रक्त जाँच, एक्स-रे, अल्ट्रा सोनोग्राफी, एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन एवं अन्य चिकित्सीय जाँच हेतु बिना भर्त्ती के जाँच में भुगतान देने पड़ते है ;	स्वीकारात्मक। रिम्स में ओ0पी0डी0 मे इलाज हेतु आए मरीजों को उनके बिमारी के अनुसार चिकित्सीय परामर्श दी जाती है एवं तदनुसार जाँच हेतु अनुशंसा की जाती है। शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग-अलग जाँच के लिए अलग-अलग दर निर्धारित है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित संस्थान मे अभी भी वैसे रिक्त स्थान है, जँहा बेड के अभाव में मरीज नीचे जमीन पर चिकित्सा लाभ ले रहें है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कुछ विभागों जैसे न्यूरो सर्जरी, औषधि, सर्जरी आदि में बेड की क्षमता से अधिक मरीज भर्त्ती होने के कारण नये मरीजों का जमीन पर इलाज किया जाता है। बेड की उपलब्धता होने पर मरीजों को बेड पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। बेड की संख्या नेशनल मेडिकल कॉउन्सिल के मापदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान में न्यूरो सर्जरी वार्ड में सम्पूर्ण बेड पर ऑक्सीजन पाईप की सुविधा नहीं रहने व विगत छः माह से वार्ड की आई0सी0यू0 का एक विंग बंद रहने के कारण राज्य के मरीजों को चिकित्सीय सुविधा पाने में कठिनाइयाँ हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। रिम्स के न्यूरो सर्जरी वार्ड में पाईप लाईन के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलिंडर से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। बन्द विंग को शीघ्र ही क्रियाशील करा दिया जायेगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित संस्थान में बी0पी0एल0/ आयुष्मान भारत/ लाल कार्ड धारियों को ओ0पी0डी0 चिकित्सक द्वारा जाँच कराने हेतु बिना भर्त्ती के निःशुल्क जाँच कराने तथा खण्ड (2) एवं (3) में मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रिम्स मे भर्त्ती बी0पी0एल0/ आयुष्मान भारत/ लाल कार्डधारी मरीजो के निःशुल्क जाँच की व्यवस्था है। रिम्स के ओ0पी0डी0 मे मरीजो के निःशुल्क जाँच का प्रावधान नहीं है। संस्थान में आये हुए मरीजो को रिम्स में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/रिम्स (वि0 स0)-05-02/2021 117(11) स्वा0/राँची/दिनांकः- 17/03/21

प्रतिलिपिः-अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 627/वि0स0 दिनांक 27.02.2021 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(262)

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने 2017 में टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया है, जिसकी राज्य स्तरीय समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष है और कुल 15 सदस्य है और राज्य कार्यकारिणी समिति में भी 14 सदस्य है जिसमें 12 सरकारी अधिकारी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि टाना भगत की जनसंख्या वाले जिलों में प्राधिकार की कार्यकारी समितियाँ गठित की गई है, जिसमें जिला के उपायुक्त अध्यक्ष है और कुल–18 सदस्य है जो सभी के सभी पदाधिकारी है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्यस्तरीय समिति में, कार्यकारिणी समिति में और जिलास्तरीय कार्यकारी एजेंसी में टाना भगत समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। दिनांक–07.11.2017 को श्री रघुवर दास, माननीय तात्कालं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टाना भगतों की समस्याओं के निराकरण हेतु आहुत बैठक की कार्यवाही संख्या–5470/रा0, दिनांक–14.11.2017 द्वारा टाना भगत विकास प्रधिकार में टाना भगतों की ओर से निम्नलिखित प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है :– 1. श्री गंगा टाना भगत, बेड़ो, राँची। 2. श्री रामधन टाना भगत, ग्राम–धोबनी खंपराटोली, घाघरा, गुमला जिला। 3. श्री रामचन्द्र टाना भगत, ग्राम–हेसवे चन्दु, सेन्हा, लोहरदगा जिला। 4. श्रीमती सरिता टाना भगत, ग्राम–हसवे नीमटोली, सेन्हा, लोहरदगा जिला। 5. श्री बहादुर टाना भगत, ग्राम–कैमा, लातेहार जिला। जिलास्तरीय टाना भगत विकास प्राधिकार के 18 सदस्यों के अतिरिक्त जिला के माननीय संसद, जिला के माननीय विधानसभा सदस्य, जिला के माननीय मंत्री (यदि कोई हो तो) के प्रतिनिधि एवं टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त समितियों में अध्यक्ष के पदों पर टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि को मनोनीत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0(अ0सू0)–98 / 2021 1290 / रा0, दिनांक– 16-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1046 / वि0स0, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021
सरकार के उप सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

263

394
18/03/2021

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–19.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–18 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता डॉ० इरफान अंसारी माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि लॉकडाउन के दृष्टिगत रोजगार सृजन के मामलों में भारी कमी हुई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में नवयुवक बेरोजगार हुए हैं, जिस कारण उनमें हताशा एवं निराशा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रवासी मजदूरों एवं बेरोजगारों के संदर्भ में रोजगार सृजन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार प्रवासी मजदूरों एवं बेरोजगारों के संदर्भ में रोजगार सृजन हेतु सतत प्रयासरत् है। इस संबंध में आद्यतन स्थिति निम्नवत् है :– 1. राज्य के नियोजनालयों द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 64 भर्ती कैम्पों का आयोजन कर 1839 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया है। 2. इस वित्तीय वर्ष (2020–21) में जिला प्रशासन द्वारा जिलों में चल रहे रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत 4.50 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। लॉकडाउन के दृष्टिगत मनरेगा एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में काफी संख्या में मानव दिवसों का सृजन श्रमिकों के रोजगार हेतु किया गया है।

18/3/21
(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–05/2021श्र०नि०–394 राँची, दिनांक–18/03/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–630, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/3/21
सरकार के उप सचिव।

E:\Sanl\Prem Bhagat\Vidhan Sabha\03-05-2021 L..docx